(494)

न्यायालय : माननीय राजस्व मंण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर.

राज0निगरानी क्र0/ /012

145

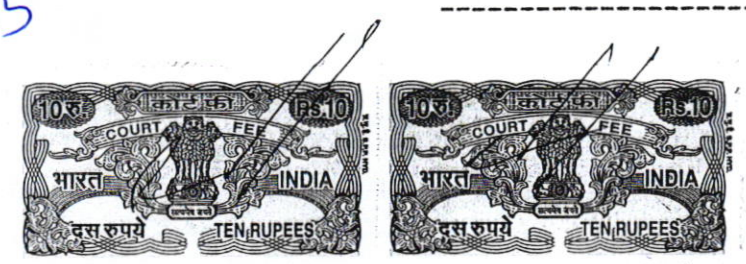

विश्राम प्रसाद तनय श्री स्व0 भगवानदीन ब्रा0 निवासी ग्राम सेमरिया, तहसील हुजूर, जिला रीवा, म0प्र0.

R. 3020-पी/12

------- आवेदक

बनाम

अधिवक्ता श्री दानवेन्द्र मिश्रा द्वारा प्रस्तुत दि. 13.8.2012

13-8-12

01- गायत्री प्रसादतनय भगवान प्रसाद

02- राजेश्वर प्रसाद मृत वारिसान -

अ- कृष्णमणि पाण्डेय } - पिसरान राजेश्वर प्रसाद

ब- कामेश्वर प्रसाद पाण्डेय }

स- दसोमति पुत्री राजेश्वर प्रसाद

द- श्रीमती शांती शुक्ला पुत्री राजेश्वर प्रसाद शुक्ला

इ- श्रीमती सुग्गी पुत्री राजेश्वर प्रसाद ब्रा0

फ- श्रीमती कमला पुत्री राजेश्वर प्रसाद ब्रा0

03- मनसुखलाल तनय हनुमानदीन ब्रा0

04- गिरिजा प्रसाद मृत वारिसान -

अ- नागेन्द्र प्रसाद तनय गिरजा प्रसाद

ब- श्यामवती पुत्री गिरजा प्रसाद

स- रामबाई पुत्री गिरजा प्रसाद

द- मुन्नीबाई पुत्री गिरजा प्रसाद

05- विंन्ध्येश्वरी प्रसाद मृत वारिसान-

अ- दिलीप कुमार पाण्डेय } -स्व0 विन्ध्येश्वरी प्रसाद

ब- प्रदीप कुमार पाण्डेय }

स- प्रेमवती पुत्री विंन्ध्येश्वरी प्रसाद

द- ममता पुत्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद

निरंतर..2पर

D.P. Mishra Ad विश्राम प्रसाद

ई- आरती पुत्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद

06-रामसेवक मृत वारिसान -

अ- सीताराम तनय रामसेवक ब्रा0

ब- श्रीमतीमे द्रोपदी पुत्री स्व0 रामसेवक ब्रा0

07- सम्मत कुमार तनय लक्ष्मण प्रसाद ब्रा0

08- रामाधार तनय सियम्बरराम ब्रा0

सभी निवासी गण ग्राम परसिया तहसील अमरपाटन जिलासतना, म0प्र0.

-------अनावेदकगण-------

निगरानी विरूद्ध निर्णय व आदेश अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा दिनांक 19.06.12 जो अपील प्रक0क्र0 40/अपील/81-82 मे पारित किया गया ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

॥01॥ यह कि निर्णय व आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

॥02॥ यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक द्वारा प्रस्तुतअपील को उसके गुण दोष पर निराकृत न कर प्रकरण को नायव तहसीलदार के समक्ष सुनवाई करने ~~के निर्णय के समक्ष सुनवाई करने~~ व निर्णय लेने हेतु प्रत्यावर्तित करने मे एक महान् कानूनी भूल की है ।

॥03॥ यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इसबातपरकतई गौर नही किया कि म0प्र0भू0रा0सं0 कीधारा 49 म0प्र0भू0रा0सं0 संशोधन अधिनियम 2011 क्र0-42 द्वारा संशोधित की जा चुकी है जिसमे यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित किया जा चुका है कि अपीलीयप्राधिकारी अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा मामले का निपटाने के लिए प्रति प्रेषित नही करेगा बल्कि वह स्वंय उसका

निरंतर....

विश्राम प्रसाद

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–**R**.3020–**II** / 12 जिला–रीवा

विश्राम प्रसाद ब्रा0 / गायत्री प्रसाद वगैरः

(1)	(2)	(3)
23.01.18	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगाता कई पेशियों से उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	